

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय परीक्षा समिति की कुलपति की अध्यक्षता में सम्पन्न प्रथम बैठक दिनांक 17 अप्रैल, 2010 (प्रातः 11.00 बजे) का कार्यवृत्त।


बैठक में निम्न ने प्रतिभाग किया:


1.	डॉ० विनय कुमार पाठक	अध्यक्ष
2.	प्रो० एच० सी० पोखरियाल	सदस्य
3.	श्री यू० एस० टोलिया	सदस्य
4.	प्रो० देवेश त्रिपाठी	सदस्य
5.	प्रो० अजय रावत	सदस्य
6.	प्रो० जे० के० जोशी	सदस्य
7.	डॉ० बी० आर० पन्त, कुलसचिव एवं परीक्षा नियन्त्रक	सदस्य सचिव

विशेष आमंत्रित:

1. श्रीमती जयन्ती ह्यांकी, वित्त नियन्त्रक
2. श्री डी० के० सिंह, उप कुलसचिव
3. श्री एम०सी० जोशी, सहायक कुलसचिव,
4. श्री महिपाल सिंह बिष्ट, सहायक कुलसचिव
5. श्री पी० सी० पपनै, प्रशासनिक परामर्शदाता
6. श्री एन० सी० पाण्डेय

बैठक के आरम्भ में कुलपति द्वारा सभी सदस्यगणों का स्वागत किया गया। कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना से अब तक के कार्यकाल पर प्रकाश डालते हुए इच्छा व्यक्त की विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली इस प्रकार विकसित की जानी है कि वह अपने में विशिष्ट परिलक्षित हों। इस दिशा में विश्वविद्यालय के कार्यकलापों में विशेषतः शैक्षणिक कार्यक्रमों के संचालन, गुणवत्ता, पाठ्यक्रमों के स्तर के निर्धारण, समय से परीक्षा संचालन तथा परीक्षाफलों की घोषणा, शैक्षणिक कार्यक्रमों एवं अन्य कार्यकलापों के लिये आधुनिकतम तकनीकों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य नये आयामों को अपनाना जो समय की आवश्यकता है। यह भी उल्लेख किया गया है कि अभी विश्वविद्यालय में लगभग 500 छात्रों का नामांकन है, परन्तु भविष्य में इसमें लगातार वृद्धि होगी, अतः ऐसी प्रणाली विकसित की जानी वाछनीय होगी जो आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति कर सकें। तदुपरान्त समिति के समक्ष प्रस्तुत प्रस्तावों को विचारार्थ कुलसचिव द्वारा प्रस्तुत किया गया।





प्रस्ताव संख्या 1.01 विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में संचालित परीक्षा, परीक्षा हेतु स्वीकृत करें व कुल व्यय के विवरण से समिति को अवगत कराना एवं अनुमोदन।

समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। परीक्षा नियन्त्रक द्वारा अवगत कराया गया की प्रस्ताव में उल्लिखित व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित है तथा इसे समिति के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत किया गया है। परीक्षा संचालन हेतु पड़ने वाले व्यय भार पर अपनी संस्तुति देने हेतु एक समिति जिसमें डॉ० अजय रावत, प्रो० जे०के० जोशी, परीक्षा नियन्त्रक, वित्त नियन्त्रक तथा श्री एन० सी० पाण्डेय होंगे का गठन किये जाने की सहमति व्यक्त की गई। समिति ने यह भी मत व्यक्त किया की परीक्षा कार्य संचालन विषयक सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को उल्लिखित करते हुए एक विवरणिका (मैनुअल) तैयार किया जाये। अध्यक्ष महोदय द्वारा अपेक्षा की गई कि परीक्षा आदि में होने वाले व्यय को यथासंभव छात्रों से प्राप्त शुल्क की सीमा तक व्यवस्थित किये जाने का प्रयास किया जायेगा तथा परीक्षा प्रणाली में यथासंभव गुणात्मकता बनाये जाने के प्रयास किये जाये।


प्रस्ताव मद 1.02 विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित वर्षवार / सेमेस्टरवार संचालित परीक्षाओं का शुल्क विवरण एवं अनुमोदन।

समिति ने प्रस्ताव का अवलोकन किया। क्योंकि इस प्रकरण में पूर्व में वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है, अतः परीक्षा समिति द्वारा मत व्यक्त किया गया की वित्तीय उपाशय के प्रकरण वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अभीष्ट होगा।

प्रस्ताव मद 1.03 परीक्षा संचालन से सम्बन्धित नियमों का निर्धारण एवं अनुमोदन।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचार किया गया तथा प्रकरणों पर विस्तृत विचार विमर्श हेतु निम्न समिति का गठन किया गया जो दो माह में अपनी संस्तुतियाँ परीक्षा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करेगी -

1. डॉ० जे० के० जोशी,
2. डॉ० अजय सिंह रावत
3. डॉ० आर० सी० मिश्रा
4. डॉ० एच० सी० पोखरियाल
5. डॉ० वी० आर० पन्त, परीक्षा नियन्त्रक



प्रस्ताव मद 1.04
का अनुमोदन।

प्रश्न पत्रों के निर्माण (सैटिंग) के सम्बन्ध में प्रस्तावित नियमों

प्रकरण पर विचारोपरान्त समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया। यह भी पारित किया कि प्रश्न पत्रों के दो सेट उत्तर सहित तैयार करवा लिये जाये जिसका मोडरेसन किया जाये। अध्यक्ष महोदय द्वारा इच्छा व्यक्त की गई कि परीक्षाफल घोषित होने उपरान्त प्रश्नों के उत्तरों को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर डाल (upload) दिया जाये। अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी इच्छा व्यक्त की गई कि परीक्षा प्रणाली में सुधार हेतु प्रयास किये जाये।

प्रस्ताव मद 1.05

प्रश्न पत्रों के मुद्रण हेतु नीति का निर्धारण एवं अनुमोदन।
प्रस्तुत प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई।

प्रस्ताव मद 1.06
अनुमोदन।

परीक्षा संचालन से सम्बन्धित विभिन्न प्रपत्रों का अवलोकन एवं
प्रस्तुत प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई।

प्रस्ताव मद 1.07

परीक्षा की तिथि एवं समय निर्धारण का अनुमोदन।

प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अध्यक्ष द्वारा विश्वविद्यालय की शैक्षणिक पंचाग (ऐकेडेमिक कैलेंडर), जिसमें प्रवेश की अन्तिम तिथि, परीक्षा तिथियाँ एवं परीक्षाफल घोषित किये जाने की तिथि भी उल्लिखित हों यथाशीघ्र निर्गत किये जान की अपेक्षा के साथ ही विश्वविद्यालय के प्रवेश एवं परीक्षा विषयक सभी जानकारियाँ छात्रों को ज्ञात हो सकें।

प्रस्ताव मद 1.08

परीक्षा संचालन हेतु उड़नदस्ता/ पर्यवेक्षक आदि की नियुक्ति पर विचार एवं अनुमोदन।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निम्न समिति के गठन किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई जो यथाशीघ्र अपनी संस्तुतियाँ कुलपति को प्रस्तुत करेंगे -

1. डॉ० अजय सिंह रावत
2. प्रो० जे०के० जोशी
3. परीक्षा नियन्त्रक
4. श्री एम०सी०जोशी, सहायक कुलसचिव



प्रस्ताव मद 1.14 उत्तर पुस्तिका के स्क्रूटनी, पुनर्मूल्यांकन एवं चुनौती मूल्यांकन से सम्बन्धित नीति का निर्धारण एवं अनुमोदन।


प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निम्न सहमति व्यक्त की गई -


1. स्क्रूटनी की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाये।
2. पुनर्मूल्यांकन एवं मूल्यांकन को चुनौती दिये जाने के सम्बन्ध में नियम बना लिये जाये। नियमावली बन जाने के उपरान्त यदि कोई छात्र पुनर्मूल्यांकन के लिये आवेदन करता है तो उसे रू0 200.00 तथा मूल्यांकन को चुनौती देने की दशा में रू0 1000.00 प्रति विषय शुल्क देना होगा।
3. यदि कोई छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति मांगता है तो उस रू0 100/- प्रति उत्तर पुस्तिका भुगतान करने पर उपलब्ध कराये जाने पर सहमति व्यक्त की गई।

प्रस्ताव मद 1.15 परीक्षा से सम्बन्धित कार्यों हेतु पृथक राशि आवंटित किये जाने पर विचार एवं अनुमोदन।

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त मत व्यक्त किया गया की वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही कार्य किया जाता रहे।

समिति की बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ समाप्त हुई।


(विनय कुमार पाठक)
कुलपति/अध्यक्ष


22/4/10
(बी0 आर0 पं०)
कुलसचिव एवं परीक्षा नियन्त्रक